विविध **बैंक प्रकरण संख्या 66/2021**(GCMS : **2021/185**) **पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी**/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय **SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक** मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स वॉलीकॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज** – प्रो. विजय सिंह पुत्र भूप सिंह मार्फत इण्डस्ट्रीयल प्लॉट, किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 01–डी–छोटी, गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स वॉलीकॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज–प्रो. विजय सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 65.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये पैसंठ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 25.03.2013 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विजय सिंह ने अपना दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया, फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1–डी छोटी(क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), गांव साधुवाली इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एंव फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1–डी छोटी (क्षेत्रफल 11532.50 वर्गफीट), गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को 76,38,203/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 26.05.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी मै. वॉलीकॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज – प्रो. विजय सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2021को भिजवाया गया है जो अप्रार्थी ऋणी को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी विजय सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपना दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया, फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1—डी छोटी(क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), गांव साधुवाली इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एंव फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डट्रीज प्लॉट, किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1—डी छोटी (क्षेत्रफल 11532.50 वर्गफीट), गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी** मै. वॉलीकॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज – प्रो. विजय सिंह को 65.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पैंसठ लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 25.03.2013 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में** विजय सिंह द्वारा अपना दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया, फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1–डी छोटी(क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), गांव साधुवाली इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एंव फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डट्रीज प्लॉट, किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1–डी छोटी (क्षेत्रफल 11532.50 वर्गफीट), गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 26.05.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी विजय सिंह द्वारा अपना दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया, फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1—डी छोटी(क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), गांव साधुवाली इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एंव फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डट्रीज प्लॉट, किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54,चक 1—डी छोटी (क्षेत्रफल 11532.50 वर्गफीट), गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 26.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 26.05.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी मै. वॉलीकॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज — प्रो. विजय सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके [illegible]जूद [illegible] अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि ज[illegible] नहीं करवाई [illegible] न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन [illegible]तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी विजय सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी विजय सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया, फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डस्ट्रीज प्लॉट किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1—डी छोटी(क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), गांव साधुवाली इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एंव फैक्ट्री भूमि और बिल्डिंग इण्डट्रीज प्लॉट, किला नं. 05, मुरब्बा नं. 54, चक 1—डी छोटी (क्षेत्रफल 11532.50 वर्गफीट), गांव साधुवाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अबोहर—श्रीगंगानगर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक ...2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:13 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर